राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : **3262** दिनांक : **29.07.2013**

आदेश

चिकित्सा शिक्षा व चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक 3020 दिनांक 06 जुलाई 2013 में दवा वितरण केन्द्र पर आने वाले प्रत्येक मरीजों के दवा विवरण पत्र (Patient voucher) को कम्प्यूटर में इन्द्राज करने एवं जो दवाईयां मरीजों को उपलब्ध नहीं कराई गई उनका भी ई–औषधि साफ्टवेयर में इन्द्राज (NA Hit) करने के विस्तृत निर्देश है। राज्य के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों से प्राप्त NA Hits (Not available drugs) के आधार पर मुख्यालय द्वारा संस्थानों में दवा सप्लाई की स्थिति का विश्लेषण किया जाता है। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा भी NA Hits रिपोर्ट का प्रतिदिन विश्लेषण किया जाता है।

विगत कुछ दिनों से प्रायः यह देखा गया है कि कुछ चिकित्सा संस्थानों के दवा वितरण केन्द्रों पर उपस्थित फार्मासिस्ट/कम्प्यूटर कर्मियों द्वारा दवा विवरण पत्र में अनुपलब्ध दवाईयों का इन्द्राज ई–औषधि साफ्टवेयर में नहीं किया जा रहा है। जबकि उन संस्थानों से मरीजों को पूर्ण दवाईयां नहीं मिलने की शिकायतें भी प्राप्त हो रही है। इससे यह प्रतीत होता है कि मरीजों को दवा भी उपलब्ध नहीं कराई गई, और ई–औषधि साफ्टवेयर में NA Hits की प्रविष्ठि भी नहीं की गई। यह कृत्य गम्भीर अनियमितता दर्शाता है।

इस आदेश के द्वारा निम्नानुसार दायित्व तय किए जाते है :–

क्र. स.	स्थिति	व्यवस्था	दायित्व
1	यदि दवा जिला औषधि भंडार में उपलब्ध है लेकिन सब–स्टोर एवं दवा वितरण केन्द्र पर उपलब्ध नहीं है।	DDW से दवा को तुरन्त issue करना व अस्पताल में प्राप्त कर साफ्टवेयर में Acknowledge करना।	• जिला औषधि भंडार प्रभारी – **इश्यू करना** • फार्मासिस्ट द्वितीय जिला औषधि भंडार – **इश्यू करना** • सम्बन्धित चिकित्सा संस्थान प्रभारी– **समन्वय** • सब–स्टोर प्रभारी। – **प्राप्त करना**
2	यदि दवा सब–स्टोर पर उपलब्ध है, लेकिन दवा वितरण केन्द्र पर उपलब्ध नहीं है।	जो दवाईयां सब–स्टोर में उपलब्ध है, उन सभी की उपलब्धता दवा वितरण केन्द्र पर सुनिश्चित करना।	• सम्बन्धित चिकित्सा संस्थान प्रभारी –**समन्वय** • सब–स्टोर प्रभारी – **इश्यू करना** • डीडीसी फार्मासिस्ट – **प्राप्त करना**
3	यदि दवा तीनों स्थानों पर उपलब्ध है, लेकिन मरीजों को अनुपलब्ध दर्शायी गई	सभी रोगियों को आवश्यक दवाईयां उपलब्ध हो। कम्प्यूटर कर्मी द्वारा शुद्धता के साथ–साथ उसी दिन के सभी विवरण पत्र उसी दिन इन्द्राज करना।	• सम्बन्धित डीडीसी फार्मासिस्ट/वितरण कर्ता –**वितरण एवं नियमित साफ्टवेयर में इन्द्राज।** • निःशुल्क दवा योजना प्रभारी अधिकारी। – **मोनिटरिंग**
4	यदि दवा उपरोक्त तीनों स्थानों पर अनुपलब्ध है	जिला औषधि भंडार प्रभारी से परामर्श करने के पश्चात् ही संस्थान को आवंटित स्थानीय क्रय बजट का उपयोग करते हुए स्थानीय स्तर पर दवाईयां क्रय कर रोगियों को उपलब्ध कराना।	• सब स्टोर प्रभारी – **स्थानीय क्रय हेतु दवाईयों की सूची तैयार करना।** • सम्बन्धित चिकित्सा संस्थान प्रभारी – **समन्वय** • लेखाकार – **निविदा प्रक्रिया**

अतः निर्देश दिये जाते है कि यथासंभव अस्पताल में आने वाले प्रत्येक रोगी को सभी दवाईयां उपलब्ध कराई जाए। यदि कोई दवाई रोगी को उपलब्ध नहीं कराई गई तो उन्हे ई–औषधि साफ्टवेयर में आवश्यक रूप से NA Hits के रूप में इन्द्राज करें। जिससे दवा की सप्लाई को राज्य स्तर से मोनिटर किया जा सके। ऐसा नहीं करने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(दीपक उप्रेती)
प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा

क्रमांक : **3262** दिनांक : **29.07.2013**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वा0एवं0 प0क0 विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कार्पोरेशन, जयपुर।
4. समस्त प्राचार्य एवं अस्पताल अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध अस्पताल।
5. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
6. समस्त जिला औषधि भंडार प्रभारी।
7. समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, एवं डिस्पेंसरीज़।
8. रक्षित पत्रावली।

(डॉ.समित शर्मा)
प्रबन्ध निदेशक
राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कार्पोरेशन एवं
पदेन संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग